प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, नबीपुर, कानपुर देहात।

प्रेष्य,

जन सूचना निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः–/मछली नीलामी/सिं0खं0का0दे0/हि0अनु0 **दिनांकः/ /2020**

विषयः–ठेका मछली नीलामी वर्ष 2020–21 हेतु ई–नीलामीसूचना संख्या–01/अधि0अभि0/2020–21/को प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ई–नीलामी सूचना संख्या–01/अधि0अभि0/2020–21 की 06 प्रतियाँ (सी0डी0 सहित) संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि इन्हें तीन दैनिक समाचार पत्रों में तीन दिवस के अन्तराल पर दो बार निम्नानुसार प्रकाशित करानें की कृपा करें। साथ ही निविदा को शासनादेश संख्या–ए–1–1173/10–2001–10(55)/2000 दिनांक–27.04.2011 के बिन्दु 'क' के अनुसार बेवसाइट–www.upinfo.org पर एवं (http://information.up.nic.in)भी उपलब्ध करानें का कष्ट करें, प्रकाशन की पुष्टि हेतु समाचार पत्र की एक–एक प्रति आर0ओ0 नम्बर की प्रति अभिलेखार्थ इस कार्यालय को उपलब्ध करानें का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति सूचना की 6 प्रतियाँ मय सी0डी0।

भवदीय

(ओ0 पी0 मौर्य)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांकः– /मछली नीलामी/2020–21/सिं0खं0का0दे0/हि0अनु0/तदिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, (रामगंगा) सिंचाई विभाग, उ0प्र0 कानपुर नगर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल कानपुर नगर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र सिंचाई एवं जल संसाधन विभागउत्तर प्रदेश लखनऊ को विभाग की वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है। **(संलग्नक सी0डी0)**
5. जिलाधिकारी कानपुर नगर/कानपुर देहात/औरैया/कन्नौज।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि यह मत्स्य नीलामी संवेदनशील होने के कारण समुचित पुलिस व्यवस्था हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित करने की कृपा करें।
7. जिला मत्स्यपालन अधिकारी कानपुर नगर/कानपुर देहात/औरैया/कन्नौज।
8. जिला सूचना अधिकारी कानपुर नगर/कानपुर देहात/औरैया/कन्नौज।
9. अधिशासी अभियन्ता, कानपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर कानपुर नगर।
10. अधिशासी अभियन्ता, भोगनीपुर प्रखण्ड, निचली गंगा नहर इटावा।
11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड औरैया।
12. उपजिलाधिकारी अकबरपुर/रसूलाबाद/कानपुर नगर/विधूना।
13. उपराजस्व अधिकारी सिंचाई खण्ड कानपुर देहात।
14. सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सिंचाई खण्ड कानपुर देहात।
15. जिलेदार विधनू/शिवली/रसूलाबाद/हरदू सिंचाई खण्ड कानपुर देहात।
16. थानाध्यक्ष अकबरपुर, कानपुर देहात।
17. अतिरिक्त प्रति नोटिस बोर्ड हेतु।

(ओ0पी0मौर्य)
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड कानपुर देहात

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड कानपुर देहात

अति–अल्पकालीन ई–निविदा / नीलामी सूचना संख्या–01 / अधि0अभि0 / 2020–21

महामहिम राज्यपाल की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि सिंचाई खण्ड, नबीपुर कानपुर देहात के अन्तर्गत पड़ने वाले नालों / नहरों के निम्नाकिंत मौके की ई–नीलामी वर्ष 2020–21ई–नीलामी http://etender.up.nic.inके माध्यम से दिनांक–17.08.2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। ई–नीलामी सम्बन्धी प्रपत्र / बिड दिनांक–11.08.2020 पूर्वान्ह11:00 बजे से दिनांक–17.08.2020 पूर्वान्ह11:00 बजे तक डाउनलोड / अपलोड / सबमिट की जा सकती है। नीलामी की टेक्निकल बिड दिनांक–17.08.2020 को अपरान्ह 2:00 बजे निर्धारित समिति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में उपस्थित फर्मों / ठेकेदारों / नीलामक्रेताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष ऑनलाइन खोली जाएंगी। कार्यालय बन्द होनें या राजकीय अवकाश होनें की दशा में बिड अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समय पर खोली जाएंगी।

क्र0 सं0	नाला का नाम	मौका शिकार मछली कहॉ से कहॉ तक	निविदा शुल्क (रू0में)	न्यूनतम बोली धनराशि (रू0 में)	बयाने की धराशि (रू0 में) न्यूनतम बोली का 25%
1	2	3	4	5	6
1	नाला कन्सुआ	हेड से टेल तक	89.00	5300.00	1325.00
2	नाला छरहिया	हेड से टेल तक	89.00	113500.00	28375.00
3	नाला सिमरिया	मय साइफन हेड से टेल	89.00	17300.00	4325.00
4	नाला सियारी	हेड से 18.00 किमी तक	89.00	60000.00	15000.00
5	नाला सियारी	किमी 18.00 से टेल तक	177.00	36300.00	9075.00
6	नाला मल्हौसी	हेड से टेल तक	89.00	47000.00	11750.00
7	नाला गम्भीरा	हेड से टेल तक	89.00	2100.00	525.00
8	नाला छुईया	हेड से 20.00 किमी तक	89.00	115000.00	28750.00
9	नाला छुईया	किमी0 20.00 से टेल तक	89.00	112300.00	28075.00
10	नाला ढकपुरवा	हेड से टेल तक	89.00	77500.00	19375.00
11	नाला हरदू कट	हेड से टेल तक	89.00	25300.00	6325.00
12	नाला वैरीसाल	हेड से टेल तक	89.00	2500.00	625.00
13	नाला सूपा नया	हेड से टेल तक	177.00	310000.00	77500.00
14	नाला बरौली	हेड से टेल तक	89.00	3800.00	950.00
15	नाला पाण्डु नदी	हेड से टेल तक	89.00	1500.00	375.00
16	नाला बिहारीपुर धरमंगदपुर	हेड से टेल तक	89.00	1400.00	350.00
17	नाला बिरहुन	हेड से टेल तक	89.00	2100.00	525.00
18	नाला कठेरूआ	हेड से टेल तक	89.00	1400.00	350.00
19	नाला रमईपुर रौतारा	हेड से टेल तक	89.00	1300.00	325.00
20	नाला कठारा	हेड से टेल तक	89.00	1100.00	275.00
21	नाला लौकिया	हेड से टेल तक	89.00	55000.00	13750.00
22	नाला सूपा पुराना	हेड से टेल तक	89.00	80100.00	20025.00
23	नाला धुपकरी	हेड से टेल तक	89.00	13300.00	3325.00
24	पश्चिमी इलाबाद शाखा मय साइफन	किमी 0.00 से 38.00 तक	89.00	37620.00	9405.00
25	पश्चिमी इलाबाद शाखा	किमी 38.00 से 91.00 तक	89.00	56430.00	14107.00
26	पश्चिमी इलाबाद शाखा	किमी 91.00 से 113.20 तक	89.00	31350.00	7838.00
27	जैतपुर स्केप	हेड से टेल तक	89.00	2500.00	625.00
28	फतेहपुर फीडर	हेड से टेल तक	89.00	20600.00	5150.00
29	राजवाहा रतनपुर	हेड से टेल तक	89.00	4800.00	1200.00
30	शिवली राजवाहा	हेड से टेल तक	89.00	6000.00	1500.00
31	सहार राजवाहा मय स्केप एवं साइफन	हेड से टेल तक	89.00	1000.00	250.00
32	कन्सुआ राजवाहा मय साइफन	हेड से टेल तक	89.00	7600.00	1900.00

यह नीलामी / बिड उ0प्र0 सरकार की बेवसाइट (http://etender.up.nic.in) तथा सिंचाई विभाग की बेवसाइट (http://idup.gov.in) पर निर्धारित तिथि से पूर्व उपलब्ध रहेंगी। नीलामी से सम्बन्धित विस्तृत विवरण एवं नियम व शर्ते उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं।

(ओ0पी0मौर्य)
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, कानपुर देहात

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, कानपुर देहात

ई–निविदा/नीलामी सूचना संख्या–01/अधि0अभि0/2020–21

नियम एवं शर्तेः–

1. ई–निविदा प्रपत्र बिड डाक्यूमेण्ट ऑन–लाइन दिनांक–11.08.2020 पूर्वान्ह 11:00 बजे से डाउनलोड/अपलोड करनें हेतु http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध होगा।
2. ई–निविदा के माध्यम से ई–निविदा प्रकाशित होनें की तिथि के उपरान्त यदि ऑन–लाइन सिस्टम में रूकावट होनें की स्थिति में ई–निविदा में अनपेक्षित देरी के लिए ई–निविदा आमंत्रक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
3. मछली शिकार हेतु ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से प्राप्त नीलामी ही स्वीकार की जाएगी।
4. इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाइन ई–निविदा में प्रतिभाग करनें हेतु क्लास–2 साइनिंग टाइप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC)होना आवश्यक है।
5. इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को https://etender.up.nic.in पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को https://etender.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे।
6. निविदादाता द्वारा ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय https://etender.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकि बिड के साथ स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा मूल्यांकन भी निम्नांकित बिन्दुओ के आधार पर ही किया जाएगाः–
7. ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री–बिड निविदा शुल्क जो जो अप्रतिदेय(Non Refundable)होगा, उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या–04के अनुसार **जोकि ''अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, कानपुर देहात'' के पक्ष में देय होगा,** की स्कैन प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा मूल बैंक ड्राफ्ट ई–निविदा खोले जानें से पूर्व अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, कानपुर देहात के कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जिस निविदादाता द्वारा मूल बैंक ड्राफ्ट निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उसकी ई–निविदा के टेक्निकल बिउ पर विचार नहीं किया जाएगा तथा फाइनेन्सियल बिड नहीं खोली जाएगी। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बिड आई0डी0, बिडर/फर्म का नाम एवं बिडर का मोबाइल नम्बर अंकित करना होगा।
8. ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री–बिड एडवांस मनी (बयाना राशि) जो उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या–06 में अंकित है, जो निविदादाता द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **जोकि ''अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, कानपुर देहात'' के पक्ष में देय होगी,** की स्कैन प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा मूल बैंक ड्राफ्ट ई–निविदा खोले जानें से पूर्व अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, कानपुर देहात के कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिस निविदादाता द्वारा मूल बैंक ड्राफ्ट निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उसकी ई–निविदा के टेक्निकल बिड पर विचार नहीं किया जाएगा तथा फाइनेन्सियल बिड नहीं खोली जाएगी। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बिड आई0डी0, बिडर/फर्म का नाम एवं बिडर का मोबाइल नम्बर अंकित करना होगा।
9. कॉलम संख्या–05 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम नीलामी धनराशि से कम की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी।
10. आवेदक/नीलामक्रेता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है नीलामक्रेता द्वारा पहचान पत्र के रूप में (जिसमें पूर्ण पता अंकित हो) आधार कार्ड, अथवा निर्वाचन कार्ड अथवा, ड्राइविंग लाइसेन्स अथवा पासपोर्ट अथवा बैंक पासबुक, अथवा किसान बही की प्रति अपलोड करना होगा। फर्म के मामले में प्रोपराइटर/पार्टनर का आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति तथा मत्स्यजीवी सहकारी समिति की दशा में समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की सचिव द्वारा प्रमाणित प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग–अलग डाली जाएगी। सर्वप्रथम निविदा समिति के समक्ष ऑनलाइन तकनीकि बिड खोली जाएगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की सूची पोर्टल पर प्रदर्शित होगी, तदोपरान्त तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की वित्तीय विड ऑन–लाइन खोली जाएगी।
12. फाइनेन्सिय बिड खोलने के उपरान्त उच्चतम दरदाता की ही निविदा स्वीकार की जाएगी।
13. उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गयी बोली के सापेक्ष बयाना के रूप में जमा धनराशि को समायोजित करते हुए अन्य अवशेष धनराशि 07 दिवस के अन्दर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **जोकि ''अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, कानपुर देहात'' के पक्ष में देय होगी,** मूल रूप में इस कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा बयाना

राशि जब्त करते हुए निविदाता की निविदा निरस्त कर दी जाएगी, जिस हेतु निविदादाता को कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।

14. वांछित अभिलेखों में किसी भी दशा में वाइटनर आदि का प्रयाग नहीं किया जाएगा, यदि किसी अभिलेख में ओवरराइटिंग अथवा वाइटनर का इस्तेमाल होता है तो ऐसी स्थिति में निविदादाता की निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
15. निर्धारित समय के पश्चात् निविदा Electronically बन्द हो जाएगी, तदोपरान्त कोई भी निविदा डाउनलोड/अपलोड नहीं किया किया जा सकेगा।
16. अधिशासी अभियन्ता के पास किसी भी समय विना कारण बताए निविदा निरस्त करनें का अधिकार सुरक्षित होगा।
17. राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। यदि नीलामी के पश्चात् ऐसा संज्ञान में आता है तो नीलामी क्रेता की नीलामी निरस्त करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
18. पट्टाधारक/नीलाम प्राप्तकर्ता को मत्स्य आखेट की अवधि 01 सितम्बर 2020 या अनुबन्ध की तिथि से 30 जून 2021 तक मान्य होगा।
19. पट्टाधारक/नीलाम प्राप्तकर्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष 01 जून से 30 अगस्त तक मत्स्य आखेट प्रतिबन्धित होगा।
20. मछली ले जानें के लिए जो भी वाहन प्रयोग होगा उसका पूर्व में ही नगर सेवा से सेवा मार्ग अनुमति प्राप्त करना होगा।
21. मछली एकत्र करनें के लिए सरकारी भवन का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
22. सूर्यास्त के बाद मछली शिकार प्रतिबन्धित है।
23. बोली समाप्त होनें के 01 सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा। अनुबन्ध के समय शासन द्वारा नियत स्टॉम्प जमा करना अनिवार्य होगा।
24. शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर का वहन नीलाम प्राप्तकर्ता को करना होगा।
25. शिकार माही का वैधानिक अधिकार, अनुमति पत्र प्राप्त करनें के उपरान्त ही होगा।
26. पट्टाधारक/नीलाम प्राप्तकर्ता द्वारा जल धारा के प्रवाह को रोकने का प्रयास नहीं किया जाएगा और न ही जलधारा में बाड़े लगाये जायेंगे।
27. पट्टाधारक/नीलाम प्राप्तकर्ता द्वारा नहरों में कोई ऐसा विषैला अथवा विस्फोटक पदार्थ उपयोग में नहीं लायेगा जिससे जल प्रदूषण एवं जलीय जीव जन्तुओं की मृत्यु होनें की सम्भावना हो।
28. पट्टाधारक/नीलाम प्राप्तकर्ता को नहर में कछुआ, घड़ियाल, गैन्जेटिक डॉल्फिन, मगर एवं अन्य प्रतिबन्धित जलीय वन्य जीवों को पकड़ने का अधिकार नहीं होगा।
29. अत्स्य आखेट हेतु प्रतिबन्धित श्रेणी के जाल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
30. पट्टाधारक/नीलाम प्राप्तकर्ता को नहर के उस भाग में जो उसने नीलाम में लिया है प्रतिबन्धित अवधि में जीरा एकत्र करनें का कोई अधिकार नहीं होगा।
31. विभाग को परिस्थिति विशेष में जबकि मछली के सम्पूर्ण विनाश का भय उत्पन्न हो जावे तो शिकारमाही बन्द करनें अथवा नियंत्रित करनें का पूर्ण अधिकार होगा।
32. सिंचाई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को नहर में अनुसंधान/निर्माण कार्य हेतु प्रायोगिक शिकारमाही करनें में पट्टाधारक/नीलाम प्राप्तकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
33. पट्टाधारक/नीलामी प्राप्तकर्ता को समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन व मत्स्य आखेट हेतु जारी आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
34. यदि पट्टा आवंटन/नीलामी की अवधि में पट्टाधारक आवंटन/नीलामी की शर्तों का उल्लंघन करता है तो नीलाम प्राप्तकर्ता को विभाग द्वारा नोटिस जारी करते हुए आवंटन/नीलामी निरस्त करनें का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा।
35. नहरों/नालों में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी।
36. नहरों में बन्धे लगाना तथा नहरों में कटिंग करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा एवं नहर संचालन में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न होनें का संज्ञान आने पर पट्टा निरस्त करते हुए बैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
37. किसी मामले में यदि मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) या अन्य कोई न्यायालय का आदेश है तो वह प्रभावी रहेगा।

(ओ0पी0 मौर्य)
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, कानपुर देहात